31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)
कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली– 110003

हमने आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इसमें इसके बाद ''स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित), की लेखापरीक्षा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की दिनांक 29 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.पीपीडी. 03/66.15.001/2016–17 के तहत जारी "गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016" द्वारा यथा अपेक्षित तथा उक्त निदेश के अध्याय–II के अनुच्छेद 3(ए) और 3(सी) में निर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए यथासंभव लागू प्रावधानों और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45–आई ए के तहत दिनांक 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.000011 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व के प्रमाणपत्र की एवज में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को नया प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें आरईसी को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को पंजीकरण सं. 14.000011 के तहत नया प्रमाणपत्र जारी किया है।
2. कंपनी, 31 मार्च, 2020 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय प्रतिरूप के संदर्भ में ऐसे पंजीकरण को नियमित रूप से धारित करने की पात्र है।
3. कंपनी, दिनांक 1 सितंबर, 2016 के मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से गैर–महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में यथा निर्धारित एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को लागू अपने स्वामित्व की निवल निधियों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।
4. कंपनी के निदेशक मंडल ने, दिनांक 4 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, वर्ष 2019–20 के लिए किसी सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार न करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया है।
5. कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
6. वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

   तदनुसार, अपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के प्रावधानीकरण के समक्ष क्षतिक्षति भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन कर रही है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कोई प्रणाली को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी 2016 के निदेश के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आय मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों काका पालन नहीं कर सकी। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. डीओआर (एनबीएफसी) सी.सी. पीडी.सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुपालन में, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत क्षति भत्ते और "क्षति आरक्षित" के लिए आईआरएसीपी मानदंड (मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण सहित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों के बीच अंतर को उचित ठहराया है।
7. क) हमारी राय में, फार्म एनबीएस–7 में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर सही प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्ति/जोखिम ऋण और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस–7 रिर्टन) के वार्षिक विवरण को कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 15 मई, 2020 को जमा कर दिया गया है।

मेसर्स एस. के.मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः गौरव मित्तल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 099387
यूडीआईएनः 20099387AAAABK4718

मेसर्स ओ.पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. 000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : भागीदार
सदस्यता सं. 092656
यूडीआईएनः 2009265AAAADS1054

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून 2020